रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 1974/फाल्गुन 14, 1895

No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 1974/PHALGUNA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th March, 1974

S.O. 142(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order, 1974

2. In S.O. 22(E) published in the Gazette of India Extraordinary dated 8th January, 1974, the year of the Act in the second line should be deemed to be 1947 both outside the bracket and inside the bracket and not 1974.

[No E.(C)O.1968/AM(121).]

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1974

एस० ओ० 142 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश 1974 की संज्ञा दी जाए।

2. 8 जनवरी, 1974 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 22 (ई) में द्वितीय पंक्ति में अधिनियम के वर्ष को कोष्टक के बाहर और कोष्टक के भीतर दोनों को 1947 समझना चाहिए और न कि 1974।

[सं० ई (सी) ओ, 1968/ए एम (121)]

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974